आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Tribal Affairs Department, Madhya Pradesh

Relief and Rehabilitation for Victims of Atrocities (SC and ST), Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश शासन अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध के शिकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राहत राशि और पुनर्वास में मदद देता है।

क्या मिल सकता है

राहत राशि तीन हिस्सों में दी जाती है: एफआईआर दर्ज होने पर 25 प्रतिशत, चालान पेश होने पर 50 प्रतिशत और मामले का अंतिम फैसला होने पर बाकी 25 प्रतिशत। राशि डीबीटी से पीड़ित के बैंक खाते में भेजी जाती है।

किसके लिए है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वे व्यक्ति जिनके साथ इन वर्गों से बाहर के किसी व्यक्ति या समूह ने अपराध किया हो।

मुख्य शर्तें

- पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो।
- अपराध अनुसूचित जनजाति से बाहर के व्यक्ति या समूह ने किया हो।
- एफआईआर दर्ज हो चुकी हो, क्योंकि राहत की शुरुआत एफआईआर की प्रति से होती है।
- दावे के लिए जाति प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक चाहिए।

दस्तावेज़

- एफआईआर की प्रति
- बैंक पासबुक
- चालान की प्रति
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

1. पीड़ित सबसे पहले नजदीकी थाने में आवेदन दे।
2. थाना फाइल तैयार करके जिले के अजाक थाने को भेजता है।
3. अजाक थाना एफआईआर की प्रति के साथ पूरे कागजात जिले के सहायक आयुक्त कार्यालय को भेजता है, जो जिला संयोजक होते हैं।
4. जिला स्तर की समिति, जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सहायक आयुक्त होते हैं, निर्णय लेती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/KnowYourEntitleDetail.aspx?status=BySchemeFor&pointvalue=5&Schemeid=15
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-sc-st-atrocity-relief-rehabilitation/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।